त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य
ए.आई.आर.1969 एस. सी.

तथ्य

उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात मामला फिर सुनवाई के लिये पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस रिपोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित साक्ष्य के साथ सभी अपेक्षित सामग्री थी। किन्तु राज्य सरकार का कोई ऐसा औपचारिक आदेश नहीं था कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण किया जाए। राज्य सरकार द्वारा अभी तक सामुदायिक आरक्षण की नीति अपनाई जा रही थी जो पहले त्रिलोकी नाथ के मामले में रद्द की जा चुकी थी।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति हिदायत-उल्लाह, न्यायमूर्ति, जे.सी.शाह, एस.एम.सीकरी, बी.रामस्वामी और भार्गव थे, न्यायमूर्ति शाह ने पढ़ा।

न्यायालय ने राज्य सरकार के तर्क को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिये यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कौन सा समुदाय पिछड़ा वर्ग है ''जाति, समुदाय वंश, धर्म, स्त्री, पुरूष, उच्च कुल में जन्म अथवा निवास स्थान को हीं आधार मानना ठीक नहीं।'' क्योंकि इससे अनुच्छेद 16(2) का प्रत्यक्ष अतिक्रमण होता है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा निर्धारित सामान्य नियम का तात्पर्य ''सरकारी सेवा के इच्छुक व्यक्तियों के लिये समान अवसर प्रदान करना है। किन्तु कुछ वर्गों के पिछड़ेपन के कारण राज्य सरकार उनके लिये पदों के आरक्षण की व्यवस्था करती है किन्तु वर्तमान मामले में, आरक्षण किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नहीं किया गया। यह केवल एक संयोग था कि कुल पदों या नियुक्तियों का विभाजन समुदाय या निवास के आधार पर किया गया। इस प्रकार का विभाजन अनुच्छेद 16(1) और (2) में दी गई संवैधानिक गारंटी के विपरीत था खण्ड (4) द्वारा इसका बचाव नहीं हो सका।''

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण की व्यवस्था के लिये संविधिक अधिनियम की आवश्यकता नहीं, केवल कार्यकारी आदेश या निदेश हीं पर्याप्त है। किन्तु राज्य की वितरण योजना में कोई औपचारिक कार्यकारी आदेश नहीं था। अनुच्छेद 16(4) के अधीन की गई व्यवस्था जब तक किसी कानून या औपचारिक कार्यकारी आदेश द्वारा न की गई हो, प्रभावी होगी या नहीं न्यायालय ने इस प्रश्न के बारे में अपनी राय देना आवश्यक नहीं समझा।

न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 से 83 तक को दी गई पदोन्नति अनुच्छेद 16(1) और (4) के उपबंधों के प्रतिकूल घोषित कर दी, इसलिये वे अमान्य हैं। किन्तु यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया कि उन पिछड़े वर्गों के लिये जिनका सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई ऐसी योजना बनाएं जो पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिये आरक्षण को संविधान में दी गई गारंटी के अनुकूल हो।

अधिकथित प्रतिपादना

केवल जाति, समुदाय,वंश,धर्म, स्त्री-पुरुष, जन्म-जन्म स्थान या निवास-स्थान को पिछड़ेपन की जांच का आधार नहीं माना जा सकता। संपूर्ण जाति या समुदाय को ''पिछड़ा'' घोषित किया जा सकता है, लेकिन केवल किसी विशेष जाति या समुदाय होने के कारण नहीं बल्कि एक नियत समय पर वे सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक मापदंडों से पिछड़े हों इसलिये ''पिछड़ा वर्ग'' ,''पिछड़ी जाति'' अथवा ''पिछड़े समुदाय'' का पर्याय नहीं माना जा सकता है।